भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. 784 जिसका उत्त र

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/5 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है

हिमाचल प्रदेश में जल परिवहन सेवाएं

784. श्रीमती विप्लंव ठाकुर :

क्याच**पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याह सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से परिवहन के एक वैकल्पिहक साधन के रूप में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा जिलों में 16 मार्गों पर जल परिवहन सेवाएं प्रारंभ करने के लिए कोई प्रस्ताोव प्राप्तो हुआ; है

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताोव की वर्तमान स्थिसति सहित तत्संोबंधी ब्यौ रा;क्या है

(ग) क्याय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भी इस संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुदत की है और

(घ) यदि हां , तो सरकार द्वारा इस पर क्यार कार्रवाई की गई है/ की जा रही है?

उत्तघर

पोत परिवहन राज्यह मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णोन्)

(क) और (ख) : भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच दिसंबर, 2014 में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में नौचालन संभाव्यअ निर्धारित करने के लिए तकनीकी - आर्थिक व्य वहार्यता अध्यशयन करवाया जाए। तदनुसार, परामर्शक के लिए विचारार्थ मदों (टीओआर) से संबंधित विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्तक किया गया।

टी ई एफ अध्य यन करने के लिए भारत सरकार की भूमिका सीमित होगी। तथापि, अपने संसाधनों से विकासात्म क गतिविधियों का कार्यान्व।यन करना राज्यर सरकार की जिम्मोदारी होगी, क्योंककि ये जलमार्ग राष्ट्रीोय जलमार्ग नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्नय नहीं उठता, क्योंषकि टीईएफ अध्यगयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

****